(32)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रा.नि.कं................... / 17

R 1448-II-17

श्री आर. एस. सेंगर द्वारा आज दि. 23-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रविन्द्र सिंह सेठी तनय स्व.औतार सिंह सेठी साकिन प्रेमनगर सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.........**निगराकार**

बनाम

1—रामेश्वर प्रसाद तनय शम्भू प्रसाद लोहार निवासी सुभाष पार्क के सामने तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

2—शासन म.प्र.द्वारा—नभ विभाग .... **गैरनिगराकारगण**

आर. एस. सेंगर
23/5/17

निगरानी अन्तर्गत धारा—50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश तहसीलदार वृत्त रघुराजनगर के रा.प्र.कं.79ए6 / 15—16 में पारित आदेश दिनांक 16.03.17

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:—

संक्षिप्त तथ्यः—

निगराकार द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आषय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि मौजा कोलगंवा की आराजी नं.595 / 633 रकवा 0.64डि.के अंश भाग 0.20डि.के मूल भूमिस्वामी रामेश्वर प्रसाद थे और उनके द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार 0.20डि.आराजी 18 / —रू.

....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 1448—दो / 2017 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—9—2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार वृत्त रघुराजनगर के प्रकरण कमांक 79 / ए—6 / 15—16 में पारित आदेश दिनांक 16—3—17 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील किये जाने का प्रावधान है। अतः आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	